न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 8/17 (RCMS No.2017/00070) कन्टेम्प्ड प्रार्थना पत्र

पंच कोली समाज गंगापुर सिटी जरिये बुद्धराम पुत्र जीवन राम जाति कोली, कोलीपाडा गंगापुर सिटी

.....प्रार्थी

बनाम

1. आयुक्त, नगर परिषद, गंगापुर सिटी
2. रमेश पुत्र नारायण लाल जाति कोली निवासी कोलीपाडा, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
3. लज्जाराम पुत्र नारायण लाल जाति कोली निवासी कोलीपाडा गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
4. कान्ता बाई पत्नि पूरण चन्द जाति कोली निवासी किशोरपुर तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा के आदेश दिनांक 13.10.97 की अवमानना बाबत्।

उपस्थितिः—

1. श्री पंकज कुमार वकील प्रार्थी
2. श्री हनुमान गोयल वकील अप्रार्थी सं01
3. श्री कैलाश चन्द अग्रवाल अप्रार्थी सं0 2,3,4

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

नि र्ण य **दिनांकः—20.09.2018**

यह कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 13.10.1997 की पालना नही करने पर पेश किया गया है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नगर पालिका गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 22.03.71 को विवादित भू खण्ड सं0 164 व 165 क्षेत्रफल 64′ X 72′ स्कीम सं0 1 नसिया कोलौनी कोली समाज गंगापुर सिटी जरिये नारायण लाल कोली को आवंटित किया गया था। नारायण लाल ने उक्त प्लाट की निर्माण स्वीकृति अपने व्यक्तिगत नाम से प्राप्त कर

ली। जिसकी अपील कोली समाज द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में पेश की जो दिनांक 21.10.86 को खारिज हो गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध संभागीय आयुक्त कोटा के न्यायालय में अपील पेश की जो दिनांक 13.10.97 को स्वीकार हुई। अतिरिक्त जिला कलक्टर का निर्णय निरस्त कर दिया तथा नगर पालिका गंगापुर सिटी को निर्देश दिये कि **" पंच कोली समाज गंगापुर सिटी की ओर से यदि कोई प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है तो उस पर नगर पालिका नियमानुसार कार्यवाही करें।"** उक्त आदेश के विरूद्ध नारायण लाल ने माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन पेश किया जो दिनांक 19.02.2013 को खारिज हो गया। इसी बीच नारायण लाल का स्वर्गवास हो गया उसके वारिसान ने उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी. स्पेशल बैंच में अपील पेश की थी, वह भी दिनांक 27.07.2015 को खारिज हो गयी। कोली समाज ने नगर पालिका गंगापुर सिटी को निर्माण स्वीकृति के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया। लेकिन स्वीकृति नही दी गई है। नगर पालिका द्वारा संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 13.10.97 की पालना नही करने पर प्रार्थी ने यह अवमानना प्रार्थना पत्र पेश किया है।

विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क है कि विवादित भूखण्डों का आवंटन पंच कोली समाज जरिये नारायण लाल कोली को नियमानुसार नगर पालिका गंगापुर सिटी द्वारा किया गया था परन्तु नारायण लाल ने अपने नाम से स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया तथा उक्त भूखण्डों को अपना बताया। कोली समाज एवं नारायण लाल के मध्य विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दायर हुऐ थे। माननीय संभागीय आयुक्त ने अपने निर्णय दिनांक 13.10.97 को नारायण लाल की अपील खारिज करते हुऐ नगर परिषद को आदेश दिये थे कि ''पंच कोली समाज गंगापुर सिटी की ओर से यदि कोई प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है तो उस पर नगर पालिका नियमानुसार कार्यवाही करें।'' उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय एस.बी. डी.बी में रिट दायर की थी, जो खारिज हो गयी। न्यायालय संभागीय आयुक्त के निर्णय को बहाल रखा है। उनका तर्क है कि प्रार्थी किसी को सजा नही दिलाना चाहते है परन्तु उनका यही निवेदन है कि पंच कोली समाज के हक में हुऐ उक्त भू खण्डों के निर्माण करने की पंच कोली समाज को स्वीकृति दी जावे। संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 13.10.97 की पालना करायी जावे।

नगर पालिका गंगापुरसिटी के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि प्रार्थी ने नगर पालिका पर गलत प्रकार से आरोप लगाया है कि वह न्यायालय संभागीय आयुक्त के आदेश की पालना नही कर रही है। जबकि न्यायालय ने उक्त भू खण्डों पर निर्माण की स्वीकृति देने के आदेश नही दिये हैं। उन्होंने प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं। नगर पालिका द्वारा किसी भी आदेश की अवहेलना नही की है। प्रार्थी के निर्माण स्वीकृति नही दिये जाने के संबंध में अवमानना पेश किया है। नगर परिषद द्वारा यदि मंजूरी नही दी जाती है तो नगर पालिका कानून की धारा 194 के तहत उक्त आदेश के विरूद्ध उप निदेशक स्वायत्व शासन विभाग, भरतपुर को अपील करनी चाहिये थी। इस न्यायालय में उक्त प्रार्थना चलने योगय नही है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। कन्टैम्प्ट की धारा 20 के तहत अवमानना की कार्यवाही के लिये एक वर्ष की अवधि होती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2,3,4 के विद्धान अभिभाषक का तर्क है कि प्रार्थी ने अवमानना को प्रार्थना पत्र नगर परिषद के विरूद्ध पेश करना चाहिये। अप्रार्थीगण का मंजूरी से कोई संबंध नही है। उनका यह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भी तर्क है कि प्रार्थी ने अवमानना का प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है। प्रार्थी मंजूरी के खिलाफ आये हैं। उन्हें उप निदेशक स्वायत्व शासन विभाग को मंजूरी नही मिलने की अपील पेश करनी चाहिये। इस न्यायालय में अवमानना का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि संभागीय आयुक्त कोटा ने नगर परिषद गंगापुर सिटी को निर्देश दिये है कि '' पंच कोली समाज गंगापुर सिटी की ओर से यदि कोई प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है तो उस पर नगर पालिका नियमानुसार कार्यवाही करें।''परन्तु नगर पालिका द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। हमने पत्रावली में उपलब्ध नकल फोटोप्रति न्यायालय संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 13.10.97 का अवलोकन किया जिसमें उन्होंने माना है कि भूखण्ड का आवंटन पंच कोली समाज को आवंटित किया गया है किसी व्यक्ति विशेष को नही। आवंटित भू खण्ड पर नारायण लाल का कोई अधिकार नही होने से नगर पालिका द्वारा दी गई स्वीकृति निरस्तनीय है। न्यायालय ने निगरानी स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय को निरस्त कर दिया तथा आदेश दिया कि पंच कोली समाज की ओर से यदि कोई प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है तो उस पर नगर पालिका नियमानुसार कार्यवाही करें। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिये है। इसलिये नगर पालिका को उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में कार्यवाही करनी चाहिये। नगर पालिका द्वारा पंच कोली समाज को भूखण्डों का आवंटन नियमानुसार किया गया है जिस पर पंच कोली समाज का अधिकार है। प्रार्थी द्वारा नगर पालिका में उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस पर नगर पालिका को नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का अवमानना प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा नगर पालिका गंगापुर सिटी को निर्देश दिये जाते हैं कि न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 13.10.97 के परिपेक्ष्य में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official